-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.04.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2021 में खेत में चारा काटने गई नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 30 वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2021 में थाना पैलानी क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में खेत में चारा काटने गई नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 30 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना पैलानी क्षेत्रान्तर्गत एक गांव की रहने वाली महिला ने दिनांक 23.11.2021 को थाना पैलानी पर सूचना दी कि दिनांक 22.11.2021 को खेत में चारा काटने गई उसकी 13 वर्ष की बेटी के साथ एक व्यक्ति द्वारा डरा धमकाकर दुष्कर्म किया गया। सूचना पर तत्काल थाना पैलानी पर मु0अ0सं0 167/2021 376(2)(i)/504/506 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री उमेश कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को दिनांक 25.11.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 05.12.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था। अभियोजक श्री शिवपूजन सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी विवेक कुमार तथा पैरोकार आरक्षी प्रांजुल के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय ASJ/FTC-II बांदा द्वारा 30 वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. रामनारायण निषाद पुत्र बाबूलाल निषाद नि0 छनियन डेरा खप्टिहाकला थाना पैलानी जनपद बांदा

अभियोग-

- मु0अ0सं0 167/2021 376(2)(i)/504/506 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।